


राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1081)/2018/ दिनांक:-

आदेश


निदेशालय के आदेश क्रमांक 1267 दिनांक 14.09.2016 द्वारा श्रीमती चित्रा सागर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हाल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानसगांव, खण्ड लाडपुरा (कैथुन), जिला कोटा को स्वीकृत अध्ययन अवकाश को निरन्तरता में उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत दिनांक 24.03.2018 से 19.09.2018 तक 180 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1081)/2018/1234 दिनांक:- 08/06/18  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, कोटा।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लाडपुरा (कैथुन), जिला कोटा।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर